

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम-शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर-

प्रश्न

उत्तर

19- (क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि ग्राम-भावापुर , तहसील-पट्टी जनपद- प्रतापगढ़ में रामचन्द्र, पुत्र गयादीन, रामदास, पुत्र गयादीन बलदाऊ, पुत्र दयाशंकर , देवी प्रसाद दूबे, पुत्र बचई, उदयरज, पुत्र बरसाती, सुबेदार,पुत्र मुन्नू व देवी पाल, पुत्र मुन्नू के मकान कच्चे हैं?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-3063/प्र०मं०आ०यो०-ग्रा०/विधान परिषद प्रश्न/2023-24, दिनांक 29.01.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम-भावापुर दूबे पट्टी, तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में रामचन्द्र पुत्र गयादीन, रामदास पुत्र गयादीन, बलदाऊ पुत्र दयाशंकर, देवी प्रसाद दूबे पुत्र बचई दूबे, उदयरज पुत्र बरसाती का मकान पक्का है तथा सूबेदार पुत्र मुन्नू व देवी पाल पुत्र मुन्नू का मकान कच्चा है।

कच्चे मकान धारक सूबेदार पुत्र मुन्नू व देवी पाल पुत्र मुन्नू का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं है, जिसके कारण उन्हें वर्तमान में आवास दिया जाना सम्भव नहीं है। इन्हें आवास आवंटित किये जाने की कार्यवाही भविष्य में भारत सरकार द्वारा सर्वे का आदेश निर्गत होने पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

केशव प्रसाद मौर्य,
उप मुख्यमंत्री।